भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 167

(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया गया)

<u>सीएसआर के अधीन गैर-सरकारी खेल संबंधी गतिविधियां आयोजित करना</u>

167. श्री मेघराज जैन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत गैर-सरकारी खेलकूद टूर्नामेंट और गतिविधियां आयोजित करना भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा कई वर्षों से सी.एस.आर. कार्य के नाम पर गैर-सरकारी खेलकूद लीग को दी जा रही निधि के बारे मे जानती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़े पैमाने पर विपणन और सीएसआर के नाम पर वृहत राशि का भुगतान कर उक्त निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी अवैध गतिविधियों के विरूद्ध उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): जी, नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत गैर-सरकारी खेलकूद टूर्नामेंट और एकल “वन ऑफ” गतिविधियाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं है।

(ख) से (घ): इस संबंध में इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

*****